

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 2382

दिनांक 25/08/24

प्रार्थी :-

1 टीकमाराम पुत्र भारूराम
जाति जाट, गुमाने का तला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण :-

1 प्रतापकुमार पुत्र धारूराम 2 आसूराम पुत्र पन्नाराम
3 गेमराराम 4 दीपाराम पि सुरताराम, जाति सुथार 5 पतूराम
6 धनाराम पि देवाराम, जाति मेघवाल, निवासी गुमाने का
तला, तहसील चौहटन 7 तहसीलदार चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमवंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 108/2024

दिनांक : 05.08.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र गुमाने का तला के मौजा गुमाने का तला के खेत खमरा सं. 382/149 रकबा 07.9642 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ पट्टे नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमवंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी मक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई विन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमवंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमवंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 2383 to 86
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण टीकमाराम
3. विप्रार्थीगण प्रतापकुमार वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/मेडवा

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन 011

दिनांक 25/08/24



(सूत्रभान विप्रोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन 011